

फर्द अहकाम

यायालय : उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर

(राजस्थान)

श्रीराम बनाम महादाराम वगै०

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

पत्र संख्या:- 48/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.05.2023	<p>वकील वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रिपोर्ट सरिस्ता प्राप्त की गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते तल्बी प्रतिवादीगण होकर पत्रावली दिनांक 28/05/23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (जयपुर)</p>	
28/6/23	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता उमब पत्र उपस्थित। पीटासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पर आज 28/6/23 को मजिस्ट्रेट के साथ अभियान 2023 में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 30/6/23 को पेश हो।</p>	
30/6/23	<p>पत्रावली आज प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान 2023 में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई। अधिवक्ता उमब पत्र उपस्थित। प्रकरण में पत्रावली राखीनामा पेश नहीं हुआ। अतः पत्रावली पर दिनांक 10/7/23 को पेश हो।</p>	
19/7/23	<p>वकुलाये फरीकन उपस्थित। पीटासीन आधुनिक नोटे/अवकाश पर है। प्रशासनिक कार्य है। पत्रावली दि. 19/7/23 को पेश हो</p> <p>डा. दीवता वादी (उपस्थित) डा. दीवता वादी (उपस्थित) वादी वाद में नहीं चलता चाहते हैं। यह लिखित डिमेंशन डिपोषण पर लिखित है। उक्त उक्त डिपोषण</p>	<p>श्रीराम 013023 जयपुर</p>

उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (जयपुर)

ड. नं-५०
2023

श्री लक्ष्मी व/स महाराज
दवा खाद्य निपेक्षणा

जु अर्थ म अर्थ रागि
किम गात ह/मावली निपेक्ष
शुभत वर दत्त मरक न वर
ह

~~अधिकार~~
~~प्रमाणित~~